

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 49/2020  
अनवान : -

1. सतवीर पुत्र भानसिंह जाति जटसिख निवासी परलीका तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

-प्रतिवादी

2. मंगतुराम 3. लाधुराम 4. चतर 5. बलवीरसिंह पि0 भानसिंह जाति जटसिख निवासी परलीका तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 10/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 102/55 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता स0 103/56 की कुल 3.8880 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सतवीरसिंह पुत्र भानसिंह दर्ज है जो की सहवन से विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय दर्ज हुआ है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम सतवीर दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सतवीरसिंह पुत्र भानसिंह दर्ज है जो की सहवन से विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय दर्ज हुआ है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम सतवीर दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।


Rahul

न्यायालय सहायक कलक्टर  
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 102/55 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता स0 103/56 की कुल 3.8880 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम सतवीरसिंह पुत्र भानसिंह दर्ज है एवं वादी अपना नाम सतवीरसिंह के स्थान पर सतवीर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम सतवीर अंकित है तथा पटवार हल्का द्वारा भी वादी का नाम सही करने हेतु अनुशंसा की गई है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 102/55 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता स0 103/56 की कुल 3.8880 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम सतवीरसिंह पुत्र भानसिंह के स्थान पर सतवीर पुत्र भानसिंह का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....10/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 49/2020

अनवान : -

1. सतवीर पुत्र भानसिंह जाति जटसिख निवासी परलीका तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

-प्रतिवादी

2. मंगतुराम 3. लाधुराम 4. चतर 5. बलवीरसिंह पि0 भानसिंह जाति जटसिख निवासी परलीका तहसील नोहर।


- तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 49 सन 2020 निर्णय दिनांक 10/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 102/55 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता स0 103/56 की कुल 3.8880 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम सतवीरसिंह पुत्र भानसिंह के स्थान पर सतवीर पुत्र भानसिंह का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक.....10/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर